


गंगा प्रसाद नायक, 03,
सा अत्र दि 17-3-17 को

19-3-17
ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल मप्र ग्वालियर



75

न्यायालय मान.राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर
प्र0क0 /पीबीआर-17 विविध (रेज्युलेशन)-9065-PBR-17

- 1- रघुवीर मुन्ना पुत्र जगन्नाथ बाढ़ई
 - 2- बृजभान सिंह पुत्र हरतूम सिंह यादव
 - 3- महिला नानोवाई पत्नि स्व.मुन्ना बंजारा
 - 4- राजा, माधौ पुत्रगण स्व. मुंशीलाल बंजारा
 - 5- नेपाल सिंह पुत्र रामबाबू यादव
- सभी निवासी ग्राम बारोद तहसील आरोन
जिला गुना मध्य प्रदेश

---आवेदकगण

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर गुना

---अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा 33(3)मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,1959 -
श्रीमान अध्यक्ष, राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर द्वारा द्वारा प्रकरण
कमांक 742-पीबीआर/2017 निगरानी में पारित आदेश दिनांक
7-3-2017 से अदम पैरबी में निरस्त प्रकरण को पुर्नस्थापित किये
जाने वावत)

विविध आवेदन प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

महोदय,

यह कि आवेदकगण की ओर से नियुक्त अभिभाषक ने
कलेक्टर गुना द्वारा प्रकरण कमांक 28/2012-13 स्वमेव निगरानी में
पारित आदेश दिनांक 2-11-2016 के विरुद्ध श्रीमान न्यायालय में
निगरानी कमांक 742-पीबीआर/2017 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें
प्रारंभिक सुनवाई हेतु 7-3-17 की पेशी नियत थी, किन्तु आवेदकगण
के अभिभाषक (मैं स्वयं) दिन के 11-00 बजे तक श्रीमान न्यायालय
में उपस्थित रहा, किन्तु अचानक बुखार तेज हो जाने के कारण मुझे

रीजिंग 9065-PBR/17 गुना

13-7-2013
Rajiv

आवेदकगण की ओर से श्री जी.पी.
नामक, अभिभाषक उपस्थित। रेस्योरेक
आवेदन पत्र पर गुना गण। रेस्योरेक
आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए छला
प्रमाण क्रमिक R742-PBR/17 गुना
सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाये
इस प्रकरणा में कोई कार्यवाही शेष
नही होने से यह प्रमाण समाप्त
किया जाता है।

Rajiv

31/7/13